भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1087
सोमवार 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

जनजातीय क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का संरक्षण

1087. श्रीमती जोबा माझी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में खनन आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत और प्रायः छंटनी, असुरक्षा, शोषण, बीमारियों आदि जैसे मुद्दों से पीड़ित स्थानीय कामगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ख) स्थानीय अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर विगत दस वर्षों के दौरान अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अपने संगठनों के माध्यम से संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में कामगारों, प्रबंधन और अन्य हितधारकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे कि उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रम कानूनों, कामगारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों आदि के मुद्दों पर शिक्षित किया जा सके।

खानों के मामले में, खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966 के अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु खान प्रबंधन को बुनियादी, पुनश्चर्या और विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने का अधिदेश है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई के वर्ष 2015 में लॉन्च होने के बाद से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने इसके कार्यान्वयन के लिए देश भर में 10,570.18 करोड़ रुपये का संवितरण किया है, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक 9,803.23 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

*****